न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 152/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/250

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी		1. सरपंच ग्राम रानीकलां 2. गफुर खां पुत्र चांद खां के कायम मुकांम 2/1 बाबु खां पुत्र गफुर खां 2/2 यासीन खां पुत्र गफुर खां 2/3 सत्तार खां पुत्र गफुर खां 2/4 सफी खां पुत्र गफुर खां 2/5 ईशु खां पुत्र गफुर खां 2/6 छोटू खां पुत्र गफुर खां 2/7 बिसमिल्ला पुत्री गफुर खां 2/8 जुमीया बानू पुत्री गफुर खां जातिगण मुसलमान निवासीगण रानीगॉव तहसील रानी (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/6 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा अप्रार्थी गफुर खां पक्ष में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 02.03.1998 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1, 2/7, 2/8 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को आबादी भूमि से भिन्न खसरा संख्या 306 गै.मु.पाल की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी की रिपोर्ट दिनांक 22.02.2023 के अनुसार प्रश्नगत पट्टा गै.मु.पाल पर है और ग्राम पंचायत ने निःशुल्क पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि पट्टाधारक बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति है और ग्राम पंचायत ने नियमानुसार जांच करके अप्रार्थी के पक्ष में नियम 158(1) के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी किया है। सहायक विकास अधिकारी

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

ने पट्टाधारक की अनुपस्थिति में रिपोर्ट बनाई है जबकि ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार के तहत आबादी भूमि में स्थित पुश्तैनी भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया को अपनाते हुये विधिनुसार प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा अप्रार्थी गफुर खां पक्ष में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 02.03.1998 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी के विरूद्ध अधिवक्ता अप्रार्थी का मुख्य उज्र यह था कि हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा गै.मु.पाल भूमि में जारी नहीं होकर आबादी भूमि में जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि आबादी है या गैर मुमकिन पाल ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो कि नहीं करवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों की ताईद में ऐसे कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है, जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत आराजी ग्राम पंचायत की आबादी भूमि हो। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते है, जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उठाया गया उज्र पोषणीय नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टों के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी की जॉच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2023 के अनुसार मिसल संख्या 03/95–96 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 02.03.1998 खसरा संख्या 30 गै.मु.पाल पर जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे नियम विरूद्ध जारी किये जाने से उन्हें निरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। अतः यह प्रमाणित तथ्य है कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से परे गै.मु.पाल की भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। गैर मुमकिन पाल वह भूमि होती

अति. जिला कलैक्टर
पाली (राज.)

है जो सामान्यतः तालाब, बांध, जोहड़ या जल संरचना की पाल के रूप में दर्ज होती है। यह भूमि निजी उपयोग के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक एवं पर्यावरणीय संरक्षण हेतु सुरक्षित रखी जाती है। इस प्रकार की भूमि का किसी व्यक्ति को आवंटन करना नियमों के विपरीत माना जाता है। माननीय न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि ऐसी भूमि के निजीकरण पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसी भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक हित में ही किया जा सकता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। जैर आराजी की किस्म गै.मु.पाल है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमि है। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गै.मु.पाल की भूमि का प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जो नियमों के अनुसार अमान्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा मिसल संख्या 03/95–96 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 02.03.1998 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)